कार्यालय : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची।

वन भवन, डोरण्डा, राँची

e-mail : pccf-development@gov.in ☎ 0651-2481813/ 9304727852

पत्रांक : 01/यो0ब0–06/2021–352 दिनांक :27/6/22

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, साहेबगंज वन प्रमण्डल, साहेबगंज/
वन प्रमण्डल पदाधिकारी, दुमका वन प्रमण्डल, दुमका।

विषय :– वित्तीय वर्ष 2022–23 में कार्यान्वित की जाने वाली ''अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू–संरक्षण'' योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत फूलो–झानो कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान, फूलो–झानो जैव विविधता पार्क, फोसिल पार्क, साहेबगंज एवं जैव विविधता पार्क, दुमका के निर्माण एवं विकास कार्य हेतु कुल **रू0 1014.582 लाख (दस करोड़ चौदह लाख अनठावन हजार दो सौ रूपये)** मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंग:– विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0ब0–32/2020–18/स्वी0 व0प0 दिनांक 01.12.2021 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04/यो0बजट–32/ 2020–5/आ0 व0प0 दिनांक 23.06.2022 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष 2406–वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष–01 वानिकी, लघु शीर्ष–101 वन संरक्षण, विकास तथा सम्पोषण, उप शीर्ष–58 अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू–संरक्षण योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2022–23 में उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल **रू0 1014.582 लाख (दस करोड़ चौदह लाख अनठावन हजार दो सौ रूपये)** मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है:–

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240601101580101O3	437.562
आपूर्ति एवं सामग्री	19S24060110158010323	577.020
कुल :–		**1014.582**

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी **अनुलग्नक–1 से 4** पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने–अपने कार्यालयों के कार्यो के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति **अनुलग्नक–5** पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या–19S24060110158010103 एवं 19S24060110158010323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे, जिनके मार्गदर्शन में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास के द्वारा योजना कार्यान्वयन का

सतत् अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा। योजनांतर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से इस कार्यालय को अवगत कराया जायेगा।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जायेगा तथा प्रत्येक माह की पाँच तरीख तक अपने नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा।

6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड के निर्धारित दर तक सीमित रहेगा एवं भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/DBT/डाकघर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा, साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। किसी भी प्रकार का Cash भुगतान नहीं किया जायेगा।

7. कोषागार से निकासी के संबंध में योजना–सह–वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेश/निर्देश लागू होंगें।

8. वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी परिस्थति में उप आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा एतद् संबंधी पत्र–परिपत्र का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

9. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा राशि की निकासी एवं व्यय झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 एवं वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत सुसंगत दिशा–निर्देशों के अनुरूप करना सुनिश्चित किया जायेगा।

10. योजना के कार्यान्वयन से पूर्व इनके प्राक्कलन पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी एवं इसकी एक प्रति अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक विकास कार्यालय को समर्पित की जायेगी।

11. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।

12. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरुप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अन्तर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरुप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

13. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरूद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्त्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोकर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

14. वैधानिक लेवी/करों, विनियम दरों/अनुसूचित दरों में परिवर्तन होने के कारण स्वीकृत राशि में परिवर्तन मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या 301 दिनांक 11.03.2015 के तहत अनुमान्य होगा, अन्य किसी प्रकार के दर में परिवर्तन हेतु राज्य सरकार की पुर्वानुमति अनिवार्य होगी।

15. योजनाओं में सामग्रियों का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या–940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार किया जायेगा।

16. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निहित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनका दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

17(I). ऐसे पदाधिकारी/कर्मचारी जो पूर्व में संतोषजनक कार्य नहीं किए हैं तथा वित्तीय अनुशासन का सख्ती से पालन नहीं करते है उन्हें चिन्हित कर विशेष निगरानी रखेगें।

(II) ऐसे वन क्षेत्र पदाधिकारी जिन्होंने लेखा सर्मपण में विलंब किया जिसके कारण प्रमंडलीय लेखा में विलंब हुआ, उनके कार्यों का स्थल जाँच, उत्तरजीविता प्रतिशत का सत्यापन GIS Photography के साथ कर record में रखे तथा मासिक लेखा प्राप्त होने तथा समायोजन होने के बाद राशि दी जाय।

(III) बड़े अग्रिम, वन क्षेत्र पदाधिकारी को ना दिये जायें। भुगतान तथा समायोजन के बाद ही अग्रेतर राशि दी जाय।

(IV) Muster roll में अन्य ब्यौरा के साथ–साथ बैंक का नाम, Account number तथा IFSC कोड़ भी अंकित रहेगा। यथा संभव mobile number भी संधारित किया जाय।

(V) लेखा समायोजन में पूर्व निर्धारित Document के साथ–साथ संबंधित वन क्षेत्र पदाधिकारी के Bank Account का Printout जिसमें संबंधित मजदूरों के भुगतान का साक्ष्य है, इसे भी प्राप्त कर लेखा समायोजन किया जाय।

(VI) एक वर्ष में सेवानिवृत होने वाले कर्मियों के अग्रिम/भुगतान समायोजन पर वन प्रमंडल पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी विशेष ध्यान देंगे।

(VII) पूर्व से गबन के आरोपी, गड़बडी करने वाले कार्यों पर वन प्रमंडल पदाधिकारी विशेष निगरानी की व्यवस्था रखेगें तथा ऐसे मामलों की व्यक्तिगत जाँच ज्यादा की जाय।

(VIII) राशि की विमुक्ति के पूर्व संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी उत्तरजीविता प्रतिशत की सूचना प्राप्त कर स्थल जाँच कर प्रतिवेदन देना सुनिश्चित करेंगे। योजना के विरुद्ध राशि विमुक्त अधियाचना में उत्तरजीविता प्रतिशत की जानकारी संबंधित वन क्षेत्र पदाधिकारी/वनपाल/वनरक्षी के संयुक्त हस्ताक्षर से प्राप्त करें। अगर मानक के अनुरुप यह नहीं है तो दोषियों के विरुद्ध तुरंत कार्रवाई की जाय।

(IX) मासिक लेखा में पूर्व माहों का समायोजन कम से कम 75% होने के बाद ही अग्रेतर राशि जो आगामी माह में व्यय योग्य है, वही दी जाय। पूरे वर्ष की राशि एक साथ एकमुश्त विमुक्त न हो।

(X) COVID-19 के protocol का पालन सभी कार्यों में किया जाय।

(XI) श्रोत पर (At source-TDS) यथा आयकर (Income tax), GST/VAT Profession tax इत्यादि की कटौती का दायित्व वन प्रमंडल पदाधिकारी का होगा। किसी भी उल्लंघन के लिए वन प्रमंडल पदाधिकारी स्वतः जिम्मेवार होंगे।

18. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

19. वृक्षारोपण के जीवित पौधों के प्रतिशत का आँकड़ा वर्षवार विभागीय Website पर फोटो के साथ डाला जाय तथा इसकी सूचना सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

20. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation

ससमय निश्चित रुप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही Account Code Vol (III) की धारा 297 के प्रावधानों के अनुरुप सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरुप निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संवितरकों के खाते का मासिक लेखा/लेजर वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी/अन्य नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को समर्पित कराना सुनिश्चित करायेंगे।

21. विभागीय संकल्प संख्या 4/यो0ब0–42/2010–3916 दिनांक 13.09.2012 द्वारा निर्गत संकल्प में सिविल कार्यो की अधिसीमा रू0 50.00 लाख (पचास लाख रूपये) निर्धारित की गई है। अतः समर्पित प्रस्ताव में वृक्षारोपण से संबंधित कार्य विभागीय दर के अनुसार संपादित कराये जायेंगे एवं रू0 50.00 लाख (पचास लाख रूपये) की लागत से अधिक सिविल कार्य को निविदा या भवन निर्माण विभाग के माध्यम से संपादित कराये जायेंगे।

<u>अनुलग्नक :– यथोक्त</u> ।

विश्वासभाजन,

27/6/2022

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक– **01/यो0ब0–06/2021–**352 दिनांक– 27/6/2022

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, दुमका/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, दुमका/ एनवीस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

<u>अनुलग्नक :– यथोक्त</u> ।

27/6/2022

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक– **01/यो0ब0–06/2021–**352 दिनांक– 27/6/2022

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, साहेबगंज/ दुमका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/6/2022

<u>अनुलग्नक :– यथोक्त</u> ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2022–23 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू–संरक्षण" योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत फूलो–झानो ट्रीटमेंट प्लान के अंतर्गत 18 गाँवों में विकास कार्य से संबंधित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

PHULO-JHANO CATCHMENT AREA TREATMENT PLAN

Phulo-Jhano Catchment Treatment Plan Abstract and Executive summery of DPR (Activity wise Budget)

All 18 Village Budget Summery

निकासी एव व्ययन पदाधिकारी : वन प्रमण्डल पदाधिकारी, साहेबगंज वन प्रमण्डल, साहेबगंज

Amount (in Lakh)

Total Geographical Area (in Ha) : 4202.89			Total Treatment Area (In Ha) : 3757.60				Total Projcet Cost : 1615.86			
Sl. No.	Budget head	Sub Head	Details of Activities	Total (Phy)		Total (Fin)	2nd Year (2022-23)			
							Phy	Fin	Wages	Material
1	Up Land Treatment Plan	Soil and Water Canservation Activities	Continuous Contour Trench	25.00	Ha.	11.225	5.00	2.245	1.796	0.449
			Staggered Contour Trench	60.50	Ha.	22.627	12.10	4.525	3.620	0.905
			Field Bund with Trench	270.00	Ha.	56.970	54.00	11.394	9.115	2.279
			DCT	113.00	Ha.	40.680	22.60	8.136	6.509	1.627
Sub Total :-						**131.502**	**93.700**	**26.300**	**21.040**	**5.260**
2	Drainge Line Treatment Plan	Reduces erosion and reduces sediment transport	Gabion Structure (Wire Mesh)	300	No.	432	120	195.8	78.32	117.48
			Loose Boulder Structure	950	No.	85.5	380	34.2	13.68	20.52
			Masonry Check Dam	26	No.	240.786	11	101.871	40.7484	61.1226
			Drum Check Dam	28	No.	91.644	11	36.003	14.4012	21.6018
			Nala Renovation (3.25x1.65x1 =5.36 Mt q.)	14000	Rmt	35.98	5600	14.392	5.7568	8.6352
Sub Total :-						**885.91**	**6122.00**	**382.27**	**152.91**	**229.36**
3	Under Ground and surface land Treatment Plan	Water Harvesting and Ground Water recharge	Earthen Check Dam (130ft x 20 ft)	16	No.	125.719	6	47.145	18.858	28.287
			Farm Pond (100ft x 10ft x 10ft)	26	No.	98.176	10	37.76	15.104	22.656
Sub Total :-				**42**		**223.895**	**16**	**84.905**	**33.962**	**50.943**
4	Entry Point Activity/ Awareness		Genral Awareness and Motivation all Villagers/ Flex Hording/Pumplet etc.	1	No.	18	1	8.000	3.200	4.800
			Plantation Distriicbution (6000 Plan/Year)	1	No.	0.9	1	0.300	0.120	0.180
Sub Total :-				**2**		**18.9**	**2**	**8.3**	**3.32**	**4.98**
5	CNC		Contigency fund for office expences	3	No.	31.871	1	12.795	5.118	7.677
Sub Total :-				**3**		**31.871**	**1**	**12.795**	**5.118**	**7.677**
Grand Total :-						**1292.078**		**514.566**	**216.346**	**298.220**

27/6/2022

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

अनुलग्नक–2

वित्तीय वर्ष 2022–23 में कार्यान्वित की जाने वाली ''अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू–संरक्षण'' योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत फूलो–झानो जैव विविधता पार्क से संबंधित उप आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

निकासी एव व्ययन पदाधिकारी : वन प्रमण्डल पदाधिकारी, साहेबगंज वन प्रमण्डल, साहेबगंज

Amount (in Lakh)

क्र0 सं0	कार्य विवरणी	कुल प्राक्कलित राशि	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
2nd Year (2022-23)					
1	Pathway with pavers block (3612.50 ft)	29.811	11.924	17.887	29.811
2	Toilets block (community)-2 unit	18.759	7.504	11.255	18.759
3	Ticket counter	6.000	2.400	3.600	6.000
4	Electrification work of ticket counter	0.311	0.124	0.187	0.311
5	Toilet for staff in ticket counter	2.330	0.932	1.398	2.330
6	Water supply and sanitary work of staff toilet	0.656	0.262	0.394	0.656
7	Drinking water facility for community	3.527	1.411	2.116	3.527
8	Electrification work of staff toilet	0.206	0.082	0.124	0.206
9	Pedestal with statue (Rs. 108349.00/ Structure) total 07 structures	7.584	3.034	4.550	7.584
10	Boat and fuel (rate approved by wild life management plan)	2.500	1.000	1.500	2.500
11	Staff costing for boating/park management	15.639	6.256	9.383	15.639
12	Outdoor multigym establizing with children park	39.619	15.848	23.771	39.619
13	Appliances, computer system and furniture for ticket counter and guard room	6.075	0.000	6.075	6.075
14	Plantation work	0.833	0.666	0.167	0.833
15	Beauitification of wall by aclic painting (3320 Sq Ft.)	6.374	2.550	3.824	6.374
16	Garden development (grass land, flower, sprinkler facility, sitting chair, garden tools, board and sinage and other)	6.781	2.712	4.069	6.781
17	Bamboo and wooden structure creation (L/S)	2.000	0.800	1.200	2.000
18	Green hadge fencing (for 400 Mt.)	0.618	0.247	0.371	0.618
19	Guard and staff room with 2 toilets	6.695	2.678	4.017	6.695
20	flower bed	4.689	1.876	2.813	4.689
Total :-		**161.007**	**62.306**	**98.701**	**161.007**

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

अनुलग्नक–3

वित्तीय वर्ष 2022–23 में कार्यान्वित की जाने वाली अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू–संरक्षण योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत फौसिल पार्क, साहेबगंज का प्रस्तावित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

निकासी एव व्ययन पदाधिकारी : वन प्रमण्डल पदाधिकारी, साहेबगंज वन प्रमण्डल, साहेबगंज

Amount (in Lakh)

क्र0 सं0	कार्य विवरणी	कुल प्राक्कलित राशि	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
वित्तीय वर्ष 2022–23					
1	Proposed civil work	215.899	86.360	129.539	215.899
2	Manpower	27.339	27.339	0.000	27.339
3	Interior materiel and other	11.100	4.440	6.660	11.100
Total		**254.338**	**118.139**	**136.199**	**254.338**

27/6/2022

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

अनुलग्नक–4

वित्तीय वर्ष 2022–23 में कार्यान्वित की जाने वाली अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू–संरक्षण योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत बंदरजोड़ी जैव विविधता पार्क, दुमका का प्रस्तावित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

निकासी एव व्ययन पदाधिकारी : वन प्रमण्डल पदाधिकारी, दुमका वन प्रमण्डल, दुमका

Amount (in Lakh)

क्र0 सं0	कार्य विवरणी	प्राक्कलित राशि	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
2nd Year (2022-23)					
1	Engagement of labors in maintenance of garden and safety of amenities etc.	11.171	11.171	0.000	11.171
2	Construction to topiaries, Rockeries and toparium etc.	7.500	3.000	4.500	7.500
3	Construction of children park, Adventure park etc. and other facilities	5.000	2.000	3.000	5.000
4	Procurement, planting and maintenance of Maze garden (flowering garden), ornamental plants, cactus and palm etc.	5.000	2.000	3.000	5.000
5	Construction of butterfly park, plantation and maintenance of nectar species etc.	5.000	2.000	3.000	5.000
6	Creation of lawn area with Hedge along the walkways and its subsequent maintenance	20.000	8.000	12.000	20.000
7	Aeration Jet fountain preferably powered by solar pump	4.000	1.600	2.400	4.000
8	Provisionof irrigation inside park, water points for visitors etc.	5.000	2.000	3.000	5.000
9	Construction of wooden interpretation centre with displaymodels etc (30"x30")	20.000	8.000	12.000	20.000
10	Contingency fund	2.000	1.000	1.000	2.000
Total :-		**84.671**	**40.771**	**43.900**	**84.671**

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

।

पत्र संख्या - 01/YB-6/2021/352 दिनांक - 27-Jun-2022

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 24060110158010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	32148	SBJFOR001 SRI MANISH TIWARI DIV.FOR.OFF.SAHIBGNJ 03 - मजदूरी	39,679,100.00 रुपये तीन करोड छयानवे लाख उन्नासी हजार एक सौ
2	S 19 24060110158010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	32149	DMKFOR010 AVIROOP SINHA D.F.O.DUMKA 03 - मजदूरी	4,077,100.00 रुपये चालीस लाख सित्योत्तर हजार एक सौ
3	S 19 24060110158010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	32150	SBJFOR001 SRI MANISH TIWARI DIV.FOR.OFF.SAHIBGNJ 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	53,312,000.00 रुपये पाँच करोड तैतीस लाख बारह हजार

योग: 97,068,200.00

क्रमिक योग: रुपये नौ करोड सत्तर लाख अडसठ हजार दो सौ

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. PCCF DEV. JHARKHAND
RANCH

 Run Date: 27/6/2022

पत्र संख्या - 01/YB-6/2021/352 दिनांक - 27-Jun-2022

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 24060110158010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय	32153	DMKFOR010 AVIROOP SINHA D.F.O.DUMKA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	4,390,000.00 रुपये तीरयालीस लाख नब्बे हजार

State Scheme : NA
Centeral Scheme : NA

योग: 4,390,000.00

क्रमिक योग: रुपये दस करोड चौदह लाख अठावन हजार दो सौ 101,458,200.00

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. PCCF DEV JHARKHAND
RANCH

Run Date: 27/6/2022